जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

ई-निविदा सूचना

विश्वविद्यालय हेतु पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी अथवा प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्मों से किराए पर वाहन की आपूर्ति हेतु ई-निविदा दिनांक 27.02.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त ई-निविदा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे वित्त अधिकारी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित ई-निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। ई-निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की बेव-साइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध हैं। (कुलसचिव)

दिनांक : 20.02.2021

सं0: जे.एन.सी.यू. /सा0प्र0/09/ /2021

संदर्भ सं.: जे.एन.सी.यू. /सा0प्र0/09/4223/2021 दिनांक: 20.02.2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- माननीय कुलपति महोदय।

2-वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

3-उपकुलसचिव को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

4-निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

संदर्भ सं.: जे.एन.सी.यू. /सा0प्र0/09/4223/2021 दिनांक: 20.02.2021

(निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 2000/–मात्र)

ई–निविदा सूचना

"विभिन्न प्रकार के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु"

विश्वविद्यालय के कार्यो हेतु पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी अथवा प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्मों से किराए पर वाहन की आपूर्ति दरों हेतु ई–निविदा दिनांक 25.02.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त ई–निविदा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे वित्त अधिकारी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित ई–निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। ई–निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की बेव–साइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

ई–निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तेः–

1. निविदादाता ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर द्वारा ई–टेण्डर प्रपत्र हेतु निर्धारित मूल्य रू 2000/– मात्र NEFT/RTGS के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाता सं0 1259002102005386 में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर रू 50,000/– की धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाता सं0 1259002102005386 में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित शुल्क एवं धरोहर धनराशि के जमा न होने की दशा में ई–निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
4. परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत वाहनों का कम्प्रीहेन्सिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. वाहन चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
6. ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर द्वारा कार्यावधि में वाहन का रखरखाव एवं उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एवं वाहन चालक का वेतन वहन करना होगा।
7. प्रत्येक चरण का कार्य समाप्त होने के पश्चात अनुबंध के अनुरूप स्वीकृत दरों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने होगे। बिलों पर सम्बन्धित कार्यों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

8. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी होगी। निविदा अवधि में किराए की दर में किसी प्रकार की वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
9. ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर को किसी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय में कार्य करने का विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनों का विवरण एवं स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. दरें संलग्न वित्तीय बिड पर ही अंकित जाये अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. ई-निविदा के साथ अपलोड किये जा रहे समस्त पत्रों को निविदादाता द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
14. विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दे।
15. भार-वाहन से सम्बन्धित वाहनों की दर का उल्लेख, सम्बन्धित वाहन की भार-क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है, सहित करना होगा। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नही दी जायेगी।
16. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाना तथा वापस लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है अतएव इस कार्य में विलम्ब या असावधानी क्षम्य नही होगी तथा किसी भी चूक के लिए ट्रैवेल्स एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होगी।
17. विश्वविद्यालय की सूचना के आधार पर अल्प समय में ही वांछित प्रकार का वाहन एवं वाहन की संख्या उपलब्ध कराना होगा।
18. किसी भी चूक/उत्तरदायी कृत्य के लिए दण्ड स्वरूप प्रथमतः जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ट्रैवेल्स एजेंसी का पंजीकरण समाप्त करवाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी तथा एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
19. विश्वविद्यालय को हानि (आर्थिक/प्रतिष्ठा) पहुंचाने की स्थिति में दंण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए एजेंसी की सम्पत्ति से तथा अन्यथा की स्थिति में एजेंसी के स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

20. बाजार दर से न्यून दर देने पर वाहनों की उपलब्धता प्रभावित होने की अथवा किसी अन्य सुविचारित अपकृत्य किये जाने की सम्भावना के अन्तर्गत उनके निविदा दरों को अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। प्रतिदिन के स्थिर किराये एवं प्रति किलोमीटर ईधन सहित दरों को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में उन पर विचार नही किया जायेगा।

21. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

22. टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

23. आदेशित वाहनों की आपूर्ति समय से न करने/गुणवत्ता खराब पाये जाने पर अन्य फर्म से कार्य कराये जाने एवं धरोहर धनराशि जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा।

24. विश्वविद्यालय द्वारा ई–निविदा के आधार पर योजित ट्रैवल एजेन्सी द्वारा रू 100/– के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

25. ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं फर्म द्वारा रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

26. वर्ष 2018 के पश्चात पंजीकृत वाहन की ही किराए पर आपूर्ति ली जायेगी।इसके पूर्व पंजीकृत वाहन किराए पर नहीं लिये जायेगे।

दिनांक :

ट्रैवल एजेन्सी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म

का नाम एवं पूरा पता एवं हस्ताक्षर सहितः

....

कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

(तकनीकी बिड)

"वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु"

1	ट्रैवेल्स एजेन्सी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म का नामः(दूरभाष सं0 सहित)	
2	ट्रैवेल्स एजेन्सी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म की पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति :	
3	ट्रैवेल्स एजेन्सी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर :	
4	ट्रैवेल्स एजेन्सी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म के स्वामी का पैन नं0 :	
5	ई–निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 2000/– हेतु जमा धनराशि का विवरण :	
6	जमा धरोहर धनराशि रू0 50,000/– का विवरण	

नोटः इस प्रपत्र पर दरें अंकित न की जाये तथा उपर्युक्त विवरण पूरित करते हुए सुसंगत प्रमाणित प्रपत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निविदा की समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं एवं उक्त सभी शर्तों पर मैं निविदा में उल्लिखित वाहनों की आपूर्ति करने को तैयार हूँ।

तिथि : .... निविदादाता के हस्ताक्षर ....

सलग्नक : कुल पृष्ठों की संख्या : ....

पूरा नाम ....

पता एवं मुहर ....

....

दूरभाष नं0 एवं मो0नं0– ....

कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

(वित्तीय बिड)

''वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु''

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	भाड़े की दरे प्रति दिन जी0एस0टी0 रहित (तेल/ईंधन को छोड़ कर)	
		ए0सी0	नान ए0सी0
1	स्विफ्ट डिजायर		
2.	टाटा सूमो/बोलेरो		
3.	इनोवा/स्कारपिओ (लग्जरी गाड़ियाँ)		
4.	मैजिक/पिकअप		

नोटः दरें समस्त व्ययों यथा ईंधन, वाहन चालक का वेतन एंव मेन्टीनेन्स वयय आदि को शामिल करते हुए अंकित किये जाये। अंकित दरे एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा किसी भी दशा में परिवर्तनीय नहीं होगी।

....

निविदादाता के हस्ताक्षर

व नाम ....

(ट्रैवेल्स एजेंसी/प्रोपराइटर/ट्रांसपोर्ट कम्पनी/फर्म)